

भारत सरकार  
वस्त्र मंत्रालय  
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय  
पोस्ट बॉक्स नं. 11500, मुम्बई-400 020

सं. 28(19)/2006-एमएस/

दिनांक-26 मई 06

परिपत्र सं.1  
(2006-2007 शृंखला)  
विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौद्योगिकी)

तकनीकी सलाहकार सह मानिटरिंग समिति (त स सं स) की मुंबई में दिनांक 9 मई 2006 को हुई 28 वीं बैठक में लिए गए निर्णय :-

(iii) प्रौ उ नि यो के अंतर्गत जीप फार्स्टनर्स अथवा जीपर का निर्माण करने वाली मशीनरी का सम्मिलित किया जाना ।

प्रौ उ नि यो के सा नि (जी आर ) के अनुलग्नक डी-2 के अंतर्गत क्र.सं. बी (5) से (7) तक में जीप फार्स्टनर्स अथवा जीपर निर्माण की मशीनरी शामिल की गई है :-

अनुलग्नक-डी-2 बी (5) आटोमेटिक कॉयलिंग वाइंडर मशीन ।

बी (6) आटोमेटिक फास्टनिंग टेप असेम्बलिंग फीक्सर्चर्स ।

बी (7) आटोमेटिक जॉयनिंग एवं वाइंडिंग मशीन ।

(iv) प्रौ उ नि यो के अंतर्गत फ्लैक्सोग्राफिक प्रींटिंग मशीनरी का वोवेन सैकों की /बैगों एवं अन्य तकनीकी टेक्सटाइल्स की प्रींटिंग हेतु शामिल किया जाता ।

प्रौ उ नि यो के सा.नि. के अनुलग्नक डी-2 के क्रम सं. बी (8) के अंतर्गत फ्लैक्सोग्राफिक प्रींटिंग मशीन को वोवेन शैकों/बैगों/ अन्य टैक्निकल टेक्सटाइल्स सामानों के उत्पादन संबंधी संपूर्ण प्लांट के हिस्से के रूप में निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है :-

अनुलग्नक डी-2 बी (8) फ्लैक्सोग्राफिक प्रींटिंग मशीन को वोवेन शैक/बैगों/ अन्य तकनीकी टेक्सटाइल्स सामानों के उत्पादन में संपूर्ण प्लांट के रूप में ग्राह्य होगी यद्यपि यह मशीन अकेले के आधार पर पात्र नहीं है ।

**1. आई डी बी आई / सीडबी बैंकों द्वारा अतिरिक्त बैंकों का सहयोजन ।**

(ए) वस्त्र उद्योग क्षेत्र की लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए नोडल अभिकरण के रूप में लघु औद्योगिक विकास बैंक ने एच.डी.एफ.सी बैंक लि. द थाणे जनता सहकारी बैंक लि., थाणे, द अकोला जनता कामर्शियल को ऑपरेटिव बैंक लि., अकोला एवं श्री बाणशंकरी महिला को ऑपरेटिव बैंक लि., बैंगलोर को सहयोजित किया है ।

(बी) वस्त्र उद्योग क्षेत्र की गैर लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए नोडल अभिकरण के रूप में औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया (आई डी बी आई ) ने जोरेस्टियन को ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई को सहयोजित किया है ।

उपरोक्त प्रौ उ नि यो के संशोधनों / स्पष्टीकरणों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)  
संयुक्त वस्त्र आयुक्त